**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1397**
**28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**व्यापक हथकरघा विकास कार्यक्रम**

**1397. सुश्री एस. जोतिमणिः**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) करूर में हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करने और उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए व्यापक हथकरघा विकास कार्यक्रम (सीएचडीपी) के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) हथकरघा उत्पादों की प्रामाणिकता को बढ़ावा देने के लिए करूर में हथकरघा मार्क योजना को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करूर के हथकरघा उत्पादों के लिए बाजार सुलभता बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत करूर में हथकरघा क्षेत्र के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वस्त्र राज्य मंत्री**
**(श्री पबित्र मार्घेरिटा)**

(क) और (घ) वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार गतिविधियों के माध्यम से तमिलनाडु के करूर ज़िले सहित पूरे देश के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देता है:

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी);;

(ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस);

ऊपर्युक्त योजनाओं के तहत, योग्य हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद और डिज़ाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्ववर्ती व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीएचडीपी) को अब एनएचडीपी योजना में समाहित कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर एनएचडीपी कर दिया गया है, जिसके तहत एनएचडीपी के एक घटक क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वयन के अधीन है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान

तमिलनाडु राज्य के करूर ज़िले में 02 सीडीपी के कार्यान्वय हेतु 96.86 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

ऊपर्युक्त योजना के एक और घटक, मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत, वित्त वर्ष 2015-16 में त्रिची में 01 मेगा हथकरघा क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें तमिलनाडु के करूर सहित 08 ज़िलों को कवर किया गया था। साथ ही, करूर ज़िले में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) के साथ 01 डाई हाउस को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी और भारत सरकार के हिस्से के तौर पर 50.00लाख रुपये की राशि मंज़ूर की गई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान करूर ज़िले सहित तमिलनाडु राज्य के लिए हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के तहत जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| **वित्तीय वर्ष** | **जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)** |
|---|---|
| 2023-24 | 12.32 |
| 2024-25 | 22.50 |
| 2025-26 | 68.65 |

(ख) 'हैंडलूम मार्क' योजना तमिलनाडु के करूर ज़िले सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम खरीदारों को गारंटी प्रदान करती है कि वे जो हथकरघा उत्पाद खरीद रहे हैं, वास्तव में वे हाथ से बुने हुए हैं। अब तक तमिलनाडु के 8,954रजिस्ट्रेशन सहित कुल 29,528 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं।

(ग) विविध क्राफ़्ट मेलों और दिल्ली हाट कार्यक्रमों में भागीदारी के साथ तमिलनाडु के करूर ज़िले के बुनकरों सहित देश की हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए मार्केटिंग प्लेटफार्म प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा, हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग में हथकरघा क्षेत्र की सहायता के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.indiahandmade.com/) की भी शुरूआत की गयी है।

इसके अलावा, हथकरघा के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, तमिलनाडु के करूर जिले सहित पूरे भारत के हथकरघा निर्यातकों/संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग कार्यक्रमों/मेलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बायर-सेलर मीट, रिवर्स बायर-सेलर मीट, बिग टिकट इवेंट, भारत टेक्स आयोजित किए जाते हैं।

*******